



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269168
CG-DL-E-07012026-269168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 66]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 76(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 4271 (अ) तारीख 22 सितम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2 खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353-जे के किमी. 13.000 से किमी 62.900 तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4 - लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 25 अक्तुबर 2025 तारीख को “नवराष्ट्र” (मराठी) और “नवभारत” (हिंदी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है:

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग 353-जे रोड के कि.मी. 13.000 से कि.मी. 62.900 तक के भूखण्ड के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नागपूर (ग्रामीण)					
गांव का नाम: येरला					
1	गावठाण	निजी (निजी)	आबादी	0.0006	वायर थू जयंत शेषराव काळमेघ
2	गावठाण	निजी (निजी)	आबादी	0.0036	किशोर मोरबाजी गमे
3	गावठाण	निजी (निजी)	आबादी	0.0031	भगवान झिबल मिसाळ, महादेव झिबल मिसाळ
Total				0.0073	

[फा. सं. NHA/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 76(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 4271 (E), dated the 22nd September 2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building ,(widening / two lane with paved shoulder/ four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 353-J in the stretch of land from km. 13.000 to km 62.900 in the District of Nagpur in the state of Maharashtra. Hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Navrashtra" (Marathi) and "Navbharat" (Hindi) both dated 25th October 2025, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH353-J in the stretch of land from Km 13.000 to Km 62.900 in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nagpur (Rural)					
Village: Yerla					
1	Gaothan	Private	Abadi	0.0006	Wire through Jayanta Sheshrao Kalmegh
2	Gaothan	Private	Abadi	0.0036	Kishor Morbaji Game
3	Gaothan	Private	Abadi	0.0031	Bhagwan Zibal Misal, Mahadeo Zibal Misal
Total				0.0073	

[F. No. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director